न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–03 / 2005

आसमा बीबी वगैरह
बनाम
जहांगीर शेख वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10.04.2013	**आदेश** यह अपील वाद बिहार प्रश्रय प्राप्त अधिनियम की धारा–21 के तहत अंचल अधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उत्तरवादी नं0–01 के पक्ष में बासगीत पर्चा निर्गत करने के विरूद्ध दायर किया गया है। बासगीत पर्चा, अंचल, पाकुड़ के मौजा–रहसपुर के जमाबन्दी न0–1072 दाग नं0–366 कुल रकवा 4–2–6 धूर जमीन में से 2 कट्ठा से संबंधित है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। उनका कहना है कि दाग नं0–1072 का खतियानी रैयत लावनमय देवी, पति श्री सत्यदेव तिवारी से निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 31.10.1960 को सेराजुद्दीन एवं कफिजुद्दीन दोनों के पिता– स्व0 अब्बास शेख के द्वारा खरीदा हुआ जमीन है। राजस्व खतियान में सेराजुद्दीन एवं कफिजुद्दीन का नाम भी दर्ज हो चुका है। अपीलार्थीगण उनलोगों के वैधिक उत्तराधिकारी है। उत्तरवादी नं0–01 जहांगीर शेख प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति नहीं है। उनके पत्नी के नाम से 10 बीघा से भी अधिक जमीन है। अपील आवेदन के सिड्यूल–A में वर्णित जमीन के संबंध में अंचल अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड आदेश में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। दाग नं0–1072 पोखर है, जिसका पटाल 4–2–6 धूर जमीन है, को बन्दोवस्ती करना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–35 का उल्लंघन है। उत्तरवादी नं0–01 जहांगीर शेख एवं उसका भाई आलमगीर शेख को 6 बीघा कृषि भूमि है। जहांगीर शेख का 3 कट्ठा जमीन पर मकान भी है एवं उसका अपना 6 बीघा का पोखर तथा 6 कट्ठा वास्तु भूमि भी है। उसका मोटर साईकिल, टेलीफोन, टी0वी इत्यादि है एवं वित्तीय मामले में भी अच्छे है। उत्तरवादी जहांगीर शेख प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के अन्तर्गत नहीं आते है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश... कार्रवाई... टिप्पणी, ... सहित
1	2	3

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वर्णित जमीन निबंधित केवाला द्वारा खरीदा हुआ जमीन है, जिस पर उत्तराधिकारी के आधार पर उनलोगों का दखल–कब्जा है। इनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए बासगीत पर्चा संबंधी आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। इनका कहना है कि उत्तरवादी को वर्ष 1996 में बासगीत पर्चा प्राप्त हुआ है। उत्तरवादी नं0–01 भूमिहीन व्यक्ति है। वे अपने पिता से अलग रहते है। मुस्लिम लॉ के नियम–52 के अनुसार संयुक्त परिवार में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र का कोई हक नहीं होता है। उत्तरवादी को उनके पिता के द्वारा घर से निकाला गया है। उत्तरवादी नं0–01 बासगीत पर्चा प्राप्त जमीन पर वर्षो से घर बना कर रह रहे है। उत्तरवादी नं0–01 को मात्र 10 कट्ठा जमीन है।

इनका यह भी कहना है कि जमीन रैयती एव क्रय–विक्रय मौजा की जमीन है। इसलिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–35 इस भूमि पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त आधार पर उनके द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्त को सूना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उत्तरवादी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि पर निर्गत बासगीत पर्चा के विरूद्ध आर0एम0पी0 वाद सं0–06/98–99 दायर हुआ था। जिसमें तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक 06.11.2003 को दिये गये आदेश में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए इस निदेश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि पुनः अभिलेख खोलकर नियमानुसार स्वयं अथवा अन्य पदाधिकारी से जिसमें अंचल निरीक्षक या कल्याण निरीक्षण के नीचे के पदाधिकारी न हो, से जांच कराकर आदेश पारित करें। अंचल अधिकारी के आदेश दिनांक 28.07.2004 में संसूचित है कि अपीलकर्त्ताओं के द्वारा स्वेच्छा से वर्णित जमीन उत्तरवादी जहांगीर शेख को आटा चक्की मील चलाने के लिए और वही पर उनको

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	रहने की भी अनुमति दी गई थी। जहांगीर शेख को उनके पिता सारे चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया गया है। जहांगीर शेख पिता स्व0 हाजी तारेश अली भूमिहीन की श्रेणी में आते है। अगर उत्तरवादी को अपने पिता की सम्पति का हिस्से मिलता तो भी उनके हिस्से में मात्र 0–10–0 (दस कट्ठा) जमीन पड़ता। दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी भूमिहीन की श्रेणी में आते है। चूंकि एक एकड़ से अधिक जमीन रहने पर वैसे व्यक्ति प्रश्रय प्राप्त रैयत के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा युक्त, पाकुड़।	Seen 18.4.13 Seen Advocate 19/04/13

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.16 16:35:40 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:dd:af1e:3557:abe1

Scanned with CamScanner